(ग) और (घ) लाभकारिता की दर एवं सरकारी उद्यमों में बढ़ते पूंजी निवेश को समीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि सरकारी उद्यमों के बहुआयामी उद्देश्यों तथा उनकी विविध समस्याओं को ध्यान में रखना होता है । बहरहाल, बृहत स्तर पर समग्र रूप से सरकारी उद्यमों ने पिछले वर्षों के दौरान लाभ अर्जित किया है । सरकारी उद्यमों ने समग्र रूप से कोई घाटा नहीं उठाया है, बल्कि वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान लाभ अर्जित किया है । केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कुल निवल लाभ क्रमशः 3789 तथा 2272 करोड़ रुपये था ।

(ङ) और (च) यद्यपि समग्र रूप से सरकारी उद्यमों ने लाभ अर्जित किया है तथापि कुछ उद्यमों ने घाटा उठाया है । पुरानी एवं अप्रचलित संयंत्र एवं मशीनें, अतिरिक्त श्रम शक्ति, कार्यचालन पूंजी की कमी, बाजार की अनुपलब्धता, अनियमित विद्युत आपूर्ती तथा व्यवधान आदि घाटे के कारण हैं ।

सरकार तथा सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु निरंतर प्रयत्नशील हैं । इस सम्बंध में किए जाने वाले कुछ उपाय इस प्रकार हैं :— समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, निदेशक मण्डल को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, रुग्ण सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्वास योजनाओं के निर्माण हेतु उनकी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सुपुर्दगी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के जरिए अतिरिक्त श्रमशक्ति में कमी, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि ।

दिल्ली स्थित लघु उद्योग इकाइयों पर बजट का प्रतिकूल प्रभाव

3978 **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मार्च, 1994 के इंडियन एक्सप्रेस में "मायापुरी एस० एस० आइज सोर एट बजट प्रोप्रोजल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार द्वारा 1994-95 के वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित नीतियों के कारण लघु उद्योगों और विशेष रूप से दिल्ली स्थित लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इन लघु उद्योगों को वर्तमान वित्तीय संकट से निपटने के लिये कोई अन्य सुविधायें देने पर विचार किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली सहित पूरे देश के लघु उद्योग क्षेत्र की फेडरेशनों तथा एसोसिएशनों और उनके घटक एककों से ऐसे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया कि बजट 1994-95 का लघु उद्योग क्षेत्र पर विपरीत असर पड़ा है ।

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की रक्षा करने लिए सरकार बजट सम्बन्धी परिवर्तनों के प्रभाव पर उचित कार्यवाही करेगी । कुछ वस्तुओं जैसे कि 50 रुपये तक प्रति जोड़ा मूल्य वाले जूतों/चप्पलों, शॉलों, रूमालों आदि पर उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने की व्यवस्था पहले ही पुनः चालू कर दी गई है । कुछ वस्तुओं जैसे ऊनी धागे, एक्रीलेक धागे, नैरो वीवन फैब्रिकों इत्यादि पर सामान्य लघु उद्योग छूट योजना लागू कर दी गई है । विभिन्न लघु उद्योग योजनाओं में ब्रांड नाम प्रावधान में भी संशोधन किया गया है ताकि "कोड़ नंबर, ड्राइंग नंबर और डिजाइन नम्बर" को इसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर रखा जा सके ।

इसके अलावा क्योंकि देश के 95% से अधिक लघु और अति लघु एककों का पण्यावर्त कथित रूप से प्रति वर्ष 30 लाख से कम है इसलिए ऐसे लघु उद्योग एककों पर छूट समाप्त करने का सम्भवतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो प्रभावित वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं ।

सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की प्रबंध व्यवस्था को ठेके पर दिया जाना

3979. **श्रीमती सुषमा स्वराज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च, 1994 के "दैनिक आब्जर्वर" में "मैनेजमेन्ट आफ पी एस यूज आन कांट्रेक्ट मूटेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी क्षेत्र की कतिपय औद्योगिक इकाइयों की प्रबन्ध व्यवस्था निजी क्षेत्र में देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।